न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सोनभद्र

वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–128 सन् 2023

निर्मला देवी **बनाम** जटाशंकर यादव व अन्य

थाना–घोरावल, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

17.01.2024

पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी निर्मला देवी पत्नी कालीचरन निवासी ग्राम पिपरवार, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव समस्त निवासीगण ग्राम पिपरवार, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र के विरूद्ध सम्बन्धित थाने को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश निर्गत किए जाने के आशय से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी चमार जाति की महिला है जो अनुसूचित जाति में आती है। घटना दिनांक 06.06.2023 समय करीब 05 बजे शाम की है कि प्रार्थिनी अपनी भूमि पर मजदूरों से मकान निर्माण का कार्य करा रही थी तभी पड़ोस के रहने वाले जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव जो कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं उक्त लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थिनी क नव निर्मित घर पर चढ़ आए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर चमाईन व नीच जाति की गालियॉ देने लगे और कहने लगे कि पहले ही मना किया था कि इस जगह के आस–पास कोई भी नीच जाति का चमार या नीच विरादरी के लोग घर नहीं ले सकते, तुम नीच बात नहीं मानी और घर बनाने लगी। इसके बाद प्रार्थिनी ने गाली देने से मना कि तो उक्त जटाशंकर प्रार्थिनी को बोला चमाईन साली जबान लड़ाती हो कहते हुए दो–तीन थप्पर लगा दिया और धकेल के गिरा दिया तब मौके पर मौजूद मजदूर द्वारा बीच–बचाव किया गया। उक्त घटना की सूचना थाना घ ोरावल को दिया परंतु वहॉ से काई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थिनी ने विवश होकर घ ाटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दिनांक 08.06.2023 को प्रेषित किया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 मुन्ना एवं सी0डब्लू0–2 रामसूरत के रूप में परीक्षित कराया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री की रसीद तथा जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र में वर्णित घटना का समर्थन किया गया है तथा परिवादिनी साक्षीगणों द्वारा भी अपने–अपने बयानों के माध्यम से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों एवं परिवादिनी द्वारा दिये गये बयान का समर्थन किया गया है।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 में शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य साबित होता है कि विपक्षीगण जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव के द्वारा दिनांक 06.06.2023 को समय 05 बजे शाम परिवादिनी को अनुसूचित जाति की महिला जानते हुए उसके घर में घुस कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव द्वारा प्रथम दृष्टया धारा–452, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1) (r) एवं धारा–3(1)(s) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः विपक्षीगण विपक्षीगण जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

–:आदेश:–

अभियुक्तगण जटाशंकर यादव, सन्तोष यादव एवं मनोज कुमार यादव को धारा–452, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1) (r) एवं धारा–3(1)(s) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादिनी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 29.02.2024 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 17.01.2024